कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)– प्रथम
मध्यप्रदेश, ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर 474002
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-1)
MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002

File No.OE-11/G-6/E.Office F-123/Vol-4/Deputation/ **दिनांकः–29-11-2021**

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER – 117

इस कार्यालय में कार्यरत श्री श्रीकृष्ण वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/10965) (MPGWB3111827) को नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय, उ.प्र. में सहायक लेखाधिकारी के पद पर उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तो तथा भारत सरकार द्वारा समय पर जारी शर्तो एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 30.11.2021 (अप.) को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ.प्र., लखनऊ में कार्यग्रहण करें।

Consequent upon selection of Shri Shrikrishna Verma, Asstt. Audit Officer (02/10965) (MPGWB3111827), posted in this office, on the post of Asstt. Accounts Officer in the Namami Gange and Rural Water Supply Directorate, U.P. on deputation basis under general terms and conditions accepted by him as well as the terms and conditions issued by Government of India from time to time, he is relieved on 30-11-2021 (AN) and is directed to join the office of the Executive Director, State Water & Sanitization Mission, Namami Gange and Rural Water Supply Directorate, Lucknow, U.P.

वे उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरन्त देंगे।

He shall immediately intimate his joining in the aforesaid office to this office through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.ए.वी.14017/30/2006 स्था. (आर.आर.) दिनांक 29.11.2006, जिसे मुख्यालय के पत्र क्रमांक–19 लेखापरीक्षा (नियम)66–2002(KW)/IX –2007(10) दिनांक 06.03.2007 द्वारा अग्रेषित किया गया है, में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों द्वारा प्रतिनियुक्ति नियमित की जाती है–

The deputation is regularized in terms of the following other conditions contained in Do.P.T.O.M.No.A.V.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 received with Headquarters' letter no.19 Audit(Rules)66-2002(KW)/IX-2007(10)dated 06.03.2007:-

1. प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति दिनांक 30.11.2022 तक के लिए होगी तथा प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी को अवधि समाप्त होने पर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने के लिए अलग से कोई आदेश नही दिये जायेंगे।

Initially the deputation will be for one year and the officer on deputation will have to be compulsorily relieved on 30-11-2022. No separate order will be issued for his relieving.

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी तथा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जायेगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने के लिये अपेक्षित अनुमोदन दे दिया है । प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी का ओवरस्टे न हो यह सुनिश्चित करना उसके अगले उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं– DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010 के यदि उधारग्रहीता कार्यालय अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति निर्धारित अवधि से आगे बनाया रखना चाहते है तो उन्हे उधारदाता कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी से सहमति हेतु छह माह पूर्व कार्यवाही प्रारंभ करना चाहिए।

Deputation period will not be extended and he will be treated as relieved **unless** the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstayal of staff on deputation. As per para 8.3.1 (ii) of DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010, If the borrowing organisation wishes to retain an officer beyond the prescribed tenure, it shall initiate action for seeking concurrence of lending organisation, individual concerned etc. **six months** before the date of expiry of tenure.

3 यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनों, तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिये जिम्मेदार होगा जिसमें यह शामिल होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि की पेंशन के प्रयोजन के लिये सेवा नहीं गिनी जायेगी तथा अनधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक आस्थगित रहेगी जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता ।

M-347
29/11/21

आई. एम. विंग

In the event the officer overstaying for any reason whatsoever, he will be liable to disciplinary action and other adverse Civil/Service consequences which would include that period of unauthorized overstay shall not count against service for the purpose of pension and that any increment due during tha period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins his parent cadre.

4 टी.ए./मेडिकल क्षतिपूर्ति/सी.ई.ए./एल.टी.सी. तथा सी.जी.एच.एस. स्कीम के अन्तर्गत लाभ भारत सरकार द्वारा समय पर जारी नियमों/आदेशों के अनुसार लागू होगें।

The benefits under TA/Medical Claim/C.E.A/L.T.C & CGHS Scheme will be applicable as per the terms and conditions issued by Government of India time to time.

(प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी)

हस्ता/–

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन– 11

STR-L/701

File No.OE-11/G-6/E.Office F-123/Vol-4/Deputation **दिनांकः– 29-11-2021**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1 सचिव प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।

2 अधिशासी निदेशक, प्रमुख सचिव, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) 6ए राणा प्रताप मार्ग, उ.प्र. जल निगम परिसर, लखनउ– 226001 के पत्र कमांक– 2457/W-314-(HR)/2021 दिनांक– 27.10.2021 के संदर्भ में ।

3 उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।

4 उप महालेखाकार (ए.एम.जी– ।।), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।

5 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /ए.एम.जी– ।। (मुख्यालय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर को इस आशय के साथ कि, श्री कृष्ण वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को दिनांक – 30.11.2021 (अप.) को सीधे प्रतिनियुक्ति कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करने का कष्ट करें।।

6 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन– 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष (प्रशिक्षण) एवं गोपनीय कक्ष।

7 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /आई. एस. एण्ड डी.ए.सी को इन्ट्रानेट पर Administration-Personnel लिंक एवं कार्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

8 श्री अंबुज कुमार पाण्डेय/ स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

9 महामंत्री, एस.ए.एस. ऑडिट वेलफोयर एसोसिएशन, ग्वालियर।

10 भुगतान एवं लेखा अधिकारी प्रभारी पी.ए.ओ. 2/5, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम लेखा भवन, ग्वालियर मध्यप्रदेश।

11 श्री कृष्ण वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ।

12 सूचना पटल/ऑडिट भवन ।

13 गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

29/11/2021

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन–11